कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-32/2016-17

दिनांक : /11/2016

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, खटीमा

जनपद- उधमसिहं नगर

विषय : नगर पालिका परिषद, खटीमा का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग-4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर एंव भाग -4 (ब)-2 में 07 प्रस्तर हैं एवं STAN में 01 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-32/2016-17 दिनांक : /11/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मन्दिर, धर्मपुर, देहरादून।

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये नगर पालिका परिषद, खटीमा, ऊधमसिहं नगर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत स्थानीय निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमति सुरैया मेहंदी - अध्यक्ष(नगर पालिका परिषद)

श्री शेखर चन्द्र जोशी अधिशासी अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस.के.त्यागी (वरि0ले0प0अ0)

(ii) श्री एल.एस.लिगंवाल (स.ले.प.अ.)

(iii) श्री अर्जुन सिहं (स.ले.प.अ.)

(iv) के.बी.गुरुग (पर्यवेक्षक)

(स) संप्रेक्षा तिथि 03.08.2016 से 16.08.16 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2013-14 से 2015.16

भाग-दो

परिचयात्मक :

पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पालिका परिषद, खटीमा, जिला- उधमसिहं नगर**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : - 3.2 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 15093

1- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 09

2- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 07

3- (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- नही बनाई गई है।

4- बैठक : 07

5- कर्मचारियों की संख्या : - 59

6- पंचायतराज की सम्पतियां : -भवन एवम दुकान

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 10

9- (अ) सामाजिक संरक्षा : - (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: - (द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :--

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12 क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर पालिका परिषद, खटीमा, जनपद उधमसिहं नगर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस.के.त्यागी (वरि0ले0प0अ0) श्री एल.एस.लिगंवाल.(स.ले.प.अ.), श्री अर्जुन सिहं (स.ले.प.अ.) एवं श्री के0बी0गुरुग (पर्यवक्षक) द्वारा दिनांक 03.08.2016 से 16.08.2016 कर सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-I**	**प्रस्तर भाग-2 (ब)-II**
	शून्य	**शून्य**

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर

-प्रथम लेखा परीक्षा- 1

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
	प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तरः- शून्य

(ग) सतत अनियमितताओं की सूचीः- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

भाग-4(ब)-II

प्रस्तरः-1 अंशदायी पेंशन योजना की धनराशि की कटौती व रख-रखाव नियमनुसार न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त (सामान्य नियम वेतन आयोग) अनुभाग -7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-21/XXVII(7) अ पे आ/2005 दिनांक-25.10.2016 के अनुसार राज्य सरकार की सेवा में एवं ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, समस्त नए प्रवेशकों पर दिनांक-1.10.2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, इस योजना के तहत वेतन, महंगाई वेतन एवं महगायी भत्ते के 10% के समतुल्य धनराशि सेवक के अंशदान के रूप में काटा जाएगा तथा इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा संबन्धित संस्था द्वारा किया जाएगा, इस हेतु संबन्धित संस्था को राज्य सरकार को तब तक अनुदान दिया जाएगा जब तक ये संस्थाएं ऐसा अनुदान करने हेतु स्वमं सक्षम न हो जायें, इस शासनादेश में यह भी उल्लेख था कि जब तक भारत सहकार द्वारा राज्य के लिए पेंशन निधि प्रबंधक की नियुक्ति नही कर दी जाती, तब तक उक्त कटौतियों की धनराशि के ऐसे खाते में रखा जायेगा जिसमें सामान्यतः भविष्य निधि पर निर्धारित ब्याज से कम ब्याज न मिलता हो एवं जैसे ही पेंशन निधि प्रबंधक की नियुक्ति कर दी जाती है तो कर्मचारी/अधिकारी की समस्त जमा धनराशि प्रबंधक को हस्तांतरित कर दी जायेगी।

इकाई में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की अंशदायी पेंशनयोजना से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

1. अंशदायी पेंशन योजाना के तहत आने वाले अधिकारियो/ कर्मचारियों की संख्या 13 थी किन्तु निकाय द्वारा मात्र 10 कर्मचारियों के वेतन से ही अंशदायी पेंशन योजना का अंशदान काटा जा रहा था, जिन कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी नही काटा जा रहा था उनका विवरण निम्न प्कार था:

क्र.स.	**कर्मचारी का नाम**	**सेवा में आने की तिथी**
1.	श्रीमती शान्ति देवी	18-02-2014
2.	श्री राजा दितीय	03-05-2014
3.	श्रीमती राजकुमारी	10-02-2015

2. कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाले अंशदान की धनराशि मात्र मूल वेतन+ ग्रेडवेतन के 10% काटी जा रही थी, जबकि अंशदान की धनराशि वेतन +ग्रेडवेतन+ मंहगाई भत्ते के 10% काटा जाना

चाहिए था जो कि वास्तविक कटौती के मात्र 45.67% (आधे से भी कम) थी, एवं इसी से समतुल्य धनराशि नियोक्ता द्वारा भी जमा की जा रही थी।

3. अंशदायी पैंशन योजना में नियोक्ता की ओर से किया जाने वाला अंशदान न तो इकाई के निजी स्रोतों से आय से किया जा रहा था एंव न ही इसके लिए राज्य सरकार से अनुदान ही लिया जा रहा था बल्कि राज्य वित्त से विकास कार्यों हेतु दिए जाने वाले अनुदान की धनराशि से किया जा रहा था जो कि शासनादेशों के विरुद्ध था।

4. अंशदायी पेंशन योजना की धनराशि को बैक में कर्मचारियों के नाम से खोले गये बचत खाते में रखा जा रहा था जिस पर मात्र 4% की दर से ब्याज देय था।

उपरोक्त बिन्दुओं की ओर लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा गया कि शासनादेशों का अवलोकन करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अंशदान की धनराशि कम काटे जाने के संबंध में इकाई का कहना था कि जानकारी के अभाव में अंशदान की कम धनराशि की कटौती की गई, भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा, नियोक्ता द्वारा जमा किये जाने वाले अंशदान की धनराशि राज्य वित्त से करने के संबंध में इकाई का कहना था कि भविष्य में नियोक्ता का अंशदान पंजिका निधि से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जबकि मात्र 4% ब्याज पर अंशदान की धनराशि को बचत खाते में रखने पर इकाई का कहना था कि इस संबंध में उच्चधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि अंशदान पेंशन योजना में अंशदान करना, शासनादेशों के अनुरुप कटौती कराना क्योंकि उसी के समतुल्य कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा भी जमा कराना अनिवार्य होता है यह कर्मचारी के सेवा के अधिकार के अन्तर्गत आता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तरः-2- अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की बचत राशि ` 2.33 लाख का अवरोधन।

सामान्यतः स्वीकृत योजनाओं की बचत राशि को यथाशीध्र संबन्धित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिये अथवा शासन/ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अन्य नई योजना पर व्यय/उपभोग कर लिया जाना चाहिये।

नगर पालिका परिषद खटीमा के अभिलेखों की जाँच के दौरान संज्ञान मे आया कि अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत परिषद के लेखों में विगत वर्षों की विभिन्न कार्यों की ` 2.33 लाख की बचत राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्व से पड़ी थी जिसे न तो शासकीय लेखे में जमा कराया गया था, न ही बचत राशि से अन्य नये कार्य की स्वीकृति हेतु कोई प्रयास किया गया था। परिणामस्वरुप ` 2.33 की राशि अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से अवरुद्ध रखी हुई थी।

इंगित किये जाने पर परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि उच्चाधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि विगत दो वर्षों से इकाई द्वारा बचत राशि के उपयोग/ वापसी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अतः धनराशि ` 2.33 लाख के अनावश्यक अवरोधन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 3:- 32 वर्षों के अंतराल में भी ट्रेंचिग ग्राउण्ड की व्यवस्था न कर पाने के कारण शहर के कूडे को खुले वन क्षेत्रों में डाला जाना व शासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग न कर पाने के कारण धनराशि का समर्पण किया जाना।

नगरीय ठोस अपशिष्ट(प्रबन्धन एंव हथालन) निगम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के कार्य अनुसार प्रत्येक निकाय का यह दायित्व है कि उसके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्थानों पर एकत्रित कूडे का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण हेतु उचित व्यवस्था करें जिसके लिए अन्य के साथ-साथ निम्न नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य चाहिए था।

1. कूडे का संग्रहण डोर टू-डोर किया जाना चाहिए।
2. कूडे का पृथक्कीकरण (जैविक-अजैविक) कर उसे अलग-अलग संग्रहित किया जाना चाहिए।
3. व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से संबंधित कूडे के पृथक्कीकरण का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान का है अतः इस संबंध में समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निकायो की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है।
4. कूडे के संग्रहण हेतु एक ट्रेंचिग ग्राउण्ड की व्यवस्था एंव Re-Cycling हेतु प्लान्ट लगाया जाना अनिवार्य है।
5. ट्रेंचिगं ग्राउण्ड हेतु निकाय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई के पास 32 वर्षों के(29 सितम्बर 1984 स्थापना के) पश्चात भी कूडे के संग्रहण हेतु कोई स्थाई व्यवस्था (ट्रेंचिगं ग्राउण्ड) नहीं थी एवं शहर का कूडा एकत्रित कर गाडियों द्वारा शहर के बाहर खुले स्थान (आरक्षित वनक्षेत्र) में फेंका जा रहा था। कूडे का पृथक्कीकरण भी नही किया जा रहा था इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी खटीमा, वनक्षेत्र तराई वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा कूड़ा आरक्षित वन क्षेत्र में न फेंकने हेतु पत्र[1] लिखे गये थे एवं ऐसा न करने की स्थिति में विभिन्न वन अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु भी नगर पालिका परिषद खटीमा को पत्र[2] लिखा था। किन्तु अभी भी शहर का कूडा खुले स्थान(आरक्षित वन क्षेत्र) में ही डाला जा रहा था। आगे यह भी देखा गया कि निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा[3] ` 22.96 लाख ठोस अपशिष्ट योजना हेतु निकाय को भेजे गये थे किन्तु ट्रेचिगं ग्राउण्ड के अभाव में उक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका था एवं लगभग 11 माह पश्चात[4] इस धनराशि को ब्याज सहित (` 43,870/-) निदेशालय को वापस भेज दिया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का कहना था कि विभाग द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट था कि इकाई द्वारा लगातार वन विभाग की भूमि का चयन वर्ष 2009-10 से भी पहले से किया जा चुका था किन्तु वन विभाग द्वारा भूमि का हस्तान्तरण(आवंटन) अभी तक (लेखापरीक्षा तिथि) नही किया गया था किन्तु इकाई द्वारा इस संबंध में अन्य भूमि हेतु कोई प्रयास नहीं किये जा रहे थे एवं वन विभाग की आपत्ति के पश्चात भी कूडा आरक्षित वन क्षेत्र में फेंका जा रहा था इस संबंध में वन विभाग द्वारा 17 जून 2016 को पुनः एक नोटिस(लोहिया हेड रोड पर कूडा न डालने हेतु) विभाग को भेजा है एवं कूड़ा डालना बन्द न करने की स्थिति में ` 10,00,000/-(दस लाख) का जुर्माना करने हेतु चेतावनी दी है।

अतः ट्रेंचिगं ग्राउण्ड हेतु ठोस प्रयास न किये जाने एवं 32 वर्षों के पश्चात भी ट्रेंचिगं ग्राउण्ड की स्थाई व्यवस्था न करने तथा कूड़ा खुले स्थानों पर डालने संबंधी प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

1

[1] **1.05 फरवरी 2008 एवं 24 सितम्बर 2010-**

2.29 सितम्बर 2010.

3.17 फरवरी 2014 ड्राफ्ट संख्या 006441.

4.पत्रांक 865 दिनांक 30 जनवरी 2015.

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 4:- स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने के कारण ` 48770/- की राजस्व की हानि।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय 02 के धारा 16 एवं अधिनियम अनुसूची (1) बी के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबन्ध या करार तथा किसी अचल सम्पति को स्थानान्तरित आदि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क की वसूली सरकार द्वारा की जाती है ताकि शासकीय आय में वृद्धि हो सके। महानिरीक्षक, निबन्धक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 375/म.नि.नि./ 2012-13 दिनांक 13.07.2012 जो निदेशक शहरी विकास को सम्बन्धित है, मे आदेश दिया गया था कि नगर निगमों ,नगर पालिका परिषदों एवमं नगर पंचायतों में जो आय प्राप्ति हेतु ठेके दिये जाते है उस पर सम्पूर्ण धनराशि को दो प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क वसूला जायेगा इसी सम्बन्ध मे माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 17.02.2011 में स्पष्ट किया गया है। कि लीज अनुबंध स्टाम्प एक्ट की धारा 2(16) के अन्तर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड द्वारा कहा गया है कि निकायों ठेका अनुबंध पर स्टाप शुल्क मात्र ` 100 के मूल्य पर लिया जा रहा है जबकि ठेकों की सम्पूर्ण धनराशि का दो प्रतिशत की दर से लिया जाना है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद खटीमा के ठेका, तहबाजारी, पार्किंग से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 में ठेके बिना अनुबन्ध एवं निर्धारित देय स्टाम्प शुल्क के बिना किये गये और ना ही ठेकों से संबन्धित विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित की गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	वर्ष	ठेकेदार का नाम	ठेके की (धनराशि ` में)	लगाया गया स्टाम्प शुल्क	देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि (` में)
1.	2014-15	मौ.सदीक(तहबा जारी)	581000-	1000-	11620-
2.	2015-16	मौ. जाहिद (तहबाजारी)	850.000-	200-	17000-
3.	2014-15	शकील उर्रहमान (पार्किग)	350000-	-	7000-
4.	2015-16	लाल बहादुर कुशवाहा (पार्किग)	390000-	-	7800-
5.	2015-16	मौ. शकील	335000-	150-	6700-

		अहमद(पार्किंग)			
				1350	**50120** **-1350**
				अंतर -	**48,770/-**

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों/ आदेशों की जानकारी न होने के कारण स्टाम्प डयूटी नही ली गयी भविष्य में उक्त नियमों का पालन किया जायेगा एवं सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूली के प्रयास किये जायेगें तथा विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि नियमों का पालन न करने के कारण ` 48,770/- की राजस्व की क्षति हुई है।

अतः ` 48,770/- स्टाम्प शुल्क की वसूली न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- तृतीय स्तरोन्नयन का लाभ देय तिथि अनुसार दिया न जाना।

छठे वेतन आयोग के सिफारिशानुसार सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ACP) का लाभ दिनांक 01 जुलाई 2013 से क्रमशः 10,16 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तरोन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है।

नगर पालिका परिषद, खटीमा की सेवापुस्तिका की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न कर्मचारियों को देय तिथि से 03 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी तृतीय स्तरोन्नयन का लाभ नही दिया गया था।

क्र.स.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	तृतीय स्तटोनयन की तिथि	वर्ष
1.	श्री नोनी राम	लिपिक	01-12-1987	01-12-2013	26
2.	श्रीमती कमला पाण्डे	लिपिक	11-05-1987	11-05-2013	26
3.	श्रीमती विमला जोशी	लिपिक	28-11-1987	28-11-2013	26

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन(ACP) की गणना पूर्व में की गई थी लेकिन आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति लगाये जाने के कारण निरस्त कर दी गयी थी। अभी कर्मचारियों की ए0सी0पी0 की गणना की जा रही है एवं ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने के उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः ए0सी0पी0 का लाभ देय तिथि के अनुसार न दिये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-ii

प्रस्तर 5 :- शासन से अनुमति प्राप्त किये बिना पदोन्नति करना।

शासन द्वारा निकायों में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अनियमित रुप से की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-457/Iv(I)2013-235 (सा0)2003 दिनांक 22 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या-758/IV(I) 2015-01(32)/2014 दिनांक 12 जून 2015 में स्पष्ट निर्देश थे कि स्वीकृत पुनर्गणन ढांचे में पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत स्वीकृत ढांचे के विरुद यदि किसी भी प्रकार की कोई अनियमित नियुक्ति की जाती है तो सम्बन्धित नगर निकाय के अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी पूर्णरुपेण उत्तरादायी होगे, जिसके लिए सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा भुगतान की वसूली सम्बन्धित निकाय के आहरण वितंरण अधिकारी से की जायेगी तथी नियमावली प्रख्यापित होने तक शासन निदेशालय के अग्रिम आदेशों तक ऐसे पदों पर किसी भी दशा में कोई भी नियमित नियुक्ति नही की जायेगी।

नगर पालिका परिषद, खटीमा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत ढांचे में लेखा लिपिक के 03 पद के सापेक्ष 05 पद कार्यरत हे एवं निम्न कर्मचारियों की नियुक्त ढांचे के विरुद्ध एवं शासन से बिना अनुमति प्राप्त कर किया गया।

क्र.स.	**नाम**	**पदनाम**	**नियुक्ति की तिथि**	**पदोन्नति की तिथि**	**पदोन्नति पद**
1.	श्री सुभाष कुमार प्रथम	पर्यावरणमित्र	28-06-2013	04-07-2016	लिपिक
2.	विजय सिहं राणा	चपरासी	17-08-2010	04-07-2016	लिपिक

उपरोक्त पदोन्नति के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 04-07-2016 के अनुसार पदोन्नति की गई है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासन द्वारा शासनदेश में ढांचे की स्वीकृति पद 03 है एवं केन्द्रीय/ अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की भर्ती बिना शासन के अनुमति के नही किया जा सकती।

अतः शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना पदोन्नति का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 6:- निर्माण कार्यों पर स्वीकृत धनराशि से ` 0.37 लाख का अधिक भुगतान।

सचिव, वित्त उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा अवस्थपना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति (28 नवम्बर 2014) संबधी शासनादेश में स्पष्ट किया था कि निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा एवं किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

इकाई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से अवमुक्त धनराशि रू0 12.64 लाख से कराये गये कार्यो पर स्वीकृत टेण्डर की धनराशि से लगभग 0.37 लाख अधिक व्यय किया गया था। विवरण इस प्रकार हैः

कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	अंतर (अधिक भुगतान)
वार्ड सं. 02 मे मोती के मकान से तस्लीम से हचटावर तक सी.सी. निर्माण	4,70,058	5,05,513	35,455
वार्ड सं. 02 मे शफी नर्सरी स्कूल से मंदिर तक सी.सी. निर्माण	5,26,473	5,27,631	1158

कुल अधिक भुगतान की धनराशि= 36,613

आगे देखा गया कि एक अन्य कार्य वार्ड सं0–1 में हरिजन बस्ती ऐंठा नाले के किनारे सी0सी0मार्ग निमार्ण से संबंधित पत्रावली में आवश्यक अभिलेख जैसे कार्यादेश, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं कार्य की फोटो इत्यादि उपलब्ध नहीं थे।

उपरोक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई का कहना था कि कार्य स्थल की आवश्यकता अनुसार अवर–अभियंता द्वारा आगणनों से अधिक के कार्य कराये गये थे, जबकि पत्रावलियों में समस्त अभिलेख संलग्न करने के संबंध में इकाई का कहना था कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकि निविदा से अधिक कार्य एंव धनराशि व्यय करने के संबंध में सक्षम अधिकारियों से वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई थी एंव पत्रावलियों में समस्त आवश्यक अभिलेख चस्पा होने चाहिए थे।

अतः निर्माण कार्यों पर स्वीकृत टेण्डरों की धनराशि से रू0 36613/- अधिक व्यय संबंधी **प्रकरण** संज्ञान में लाया जाता **है**

भाग-4(ब)-।।

प्रस्तर 7:- विभागीय शिथिलता के कारण ` 43.41 लाख की वसूली का लंबित रहना।

दुकानों से प्राप्त किराया, गृहकर की वसूली, तहबाजारी के ठेके एवं पार्किंग शुल्क इत्यादि किसी भी निकाय की आय के प्रमुख स्रोत होते है। इन स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय से विकास कार्यों को सुचारु रुप से चलाया जाता है।

इकाई के वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के निजी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया किः-

1. तहबाजारी के ठेके से प्राप्त होने वाली आय (धनराशि) में से ` 66,000/- की वसूली वर्ष 2013-14 के पूर्व से 31 मार्च 2016 तक अवशेष थी।

2. इकाई द्वारा गृहकर की नियमित वसूली न हो पाने के कारण वर्ष 2012-13 में वसूली हेतु शेष धनराशि ` 18,56,090/- से बढते हुये वर्ष 2015-16 के अन्त में ` 30,42,296/- हो चुकी थी जो कि वर्ष 2012-13 की तुलना में लगभग 64 प्रतिशत अधिक थी जो कि गृहकर की वसूली में इकाई द्वारा बरती जा रही शिथिलता को प्रदर्शित करती है।

3. इकाई द्वारा दिये जाने वाले पार्किंग से संबंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 हेतु पार्किंग का ठेका श्री अब्दुल रहीम ठेकेदार को ` 3,50,000/- में दिया गया था किन्तु ठेकेदारी से संबंधित पंजिका में ठेका ` 3,35,000/- दर्शाया गया था एवं वसूली योग्य धनराशि शून्य थी जबकि वास्तविक वसूली योग्य धनराशि अभी भी ` 15,000/- शेष थी।

4. आगे इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पया गया कि इकाई के पास कुल 178 दुकानें है जिनसे इकाई को किराया प्राप्त होता है जिनका कुल मासिक किराया ` 10,90,092/- निर्धारित था, वर्ष 2015-16 के अंत में इकाई द्वारा कुल ` 12,18,188/- वसूली हेतु अवशेष थी, जो कि प्रत्येक वर्ष बढती जा रही थी।

उपरोक्त बिन्दुओं की ओर इकाई का ध्यान आकर्षित करने पर इकाई का बिन्दुवार उत्तर था कि तहबाजारी की अवशेष ` 66,000/- की वसूली ठेकेदार की मृत्यु होने के कारण संभव नहीं हो पा रही है, गृहकर की वसूली के संबंध में इकाई का कहना था कि अधिकाशं सरकारी भवनों पर लगा गृहकर सरकार द्वारा पालिका को प्राप्त नहीं हुआ था जिसके कारण गृहकर लंबित था अवशेष गृहकर की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जायेगा।

पार्किंग शुल्क की वसूली के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014-15 में चूंकि वसूली 3,35,000/- दर्शायी गयी थी जिसका समायोजन संबंधित ठेकेदार से कर लिया जायेगा। जबकि दुकानों के लंबित किराये के संबंध में इकाई का कहना था कि फड़ो से संबंधित बाद न्यायालय में लंबित होने के कारण धनराशि लंबित थी, दुकानदारों से किराया प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हे नोटिस जारी किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हे क्योंकि उपरोक्त स्रोतों से वसूली ही निकाय की आय के प्रमुख स्रोत होते है जिनकी नियमित वसूली की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होती है इतनी अधिक धनराशि की वसूली नहीं हो पाने से इकाई द्वारा ऐच्छिक विकास कार्य नहीं कराये जा सकते थे।

अतः विभागीय शिथिलता के कारण विभिन्न स्रोतो से होने वाली आय से ` 43,41,484/- की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105,वैभव पैलेस,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय